

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-2/2021

Dated Shimla-171002, the

3 -03-2021

Order

Sub:- Diversion of 4.8652 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Khilar, Mandah to Badrol (Kms. 0/00 to 6/00), within the jurisdiction of Chopal Forest Division, Distt. Shimla, Himachal Pradesh (online No. FP/HP/Road/12323/2015).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/28/2017/एफ.सी./2961 दिनांक 19/03/2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 4.8652 हे० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 10.00 हे० गैरवनीय/पतित वन भूमि (खसरा संख्या 3.00 ha Ranish DPF & 7.00 ha UPF Dachi पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 297 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
5. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
7. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

Contnd. P/2

APCCF (FCA)

PCCF (HOF)

5/3/21

पावती सं 4042
नांक 9/3/22

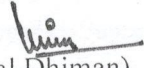
12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना को सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021** Dated, Shimla-171001 the, **3 -03-2021**
Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA), O/o HPFD HQ Talland, Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt. Shimla, Himachal Pradesh-171001.
6. DFO, Chopal Forest Division, Distt., Shimla, H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Chopal, Distt. Shimla, HP
8. Guard File.


(Sat Pal Dhiman) **3-3-2021**
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3612

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-2/2021

Dated Shimla-171002, the

4-03-2021

Order

Sub:- Diversion of 8.0651 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Khokha Rewati Sheila Dakoli road (Kms. 0/0 to 11/735), within the jurisdiction of Chopal Forest Division, Distt. Shimla, H.P. (online no. FP/HP/Road/26308/2017).

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8बी/एच.पी./06/83/2018/एफ.सी./2253 दिनांक 27/01/2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 8.0651 हे० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार UPF Ruslah में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 16.50 हे० वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जाएगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जाएगी।
8. सड़क निर्माण के पश्चात् जहाँ-जहाँ संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में स्ट्रिप Plantation की जाएगी।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गए उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।
10. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 152 trees and 41 saplings से अधिक न हो।
11. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का आर.सी.सी. स्तंभ लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर आगे तथा Back bearing भी अंकित किया जाएगा।

Contnd. P/2

4040
9/3/22

12. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलबे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
13. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
14. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आदेश अनुसार,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Endst. No **FFE-B-F(2)-2/2021**

Dated, Shimla-171001 the, 4 -03-2021

Copy forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA), O/o HPFD HQ Talland, Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, Distt. Shimla, Himachal Pradesh-171001.
6. DFO, Chopal Forest Division, Distt., Shimla, H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Chopal, Distt. Shimla, HP
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 4-3-2021
Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh.

3463

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No.- FFE-B-F(2)-2/2021

Dated: Shimla-171 002, the 4, March, 2021

ORDER

Subject:- Diversion of 2.4242 ha of forest land for the construction of Thathal Nallah to Rachhani road (Kms 0/0 to 4/675), within the jurisdiction of Kotgarh Forest Division, District Shimla, H.P.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: 8बी/एच.पी./06/28/2018/एफ.सी./2951 दिनांक 18.03.2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.4242 है० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**

(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 5.00 है० गैरवनीय/पतित वन भूमि खसरा संख्या UPF Banahardhar C-232 पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

4036

प्राप्ति सं
दिनांक

9/03/2022

(ख) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 218 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
5. एफ०आर०ए०, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

S/PCA
63

lin

6. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
7. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UoI & Ors.
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

18. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 4, March, 2021
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Shimla, District Shimla, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Kotgarh Forest Division, District Shimla, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Kotgarh, District Shimla, H.P.
8. Guard File.

(Sat Pal Dhiman) 4-3-2021

Joint Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2621874

♦♦♦♦♦